न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 84 सन् 2015

नागेन्द्र सिंह ––––––––वादी

बनाम

सत्येन्द्र राय वो ....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

06.09.2021

वादी की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–20.07.2021 आदेश–01 नियम–10 वो दफा–151 सी0पी0सी0 पर सुनवाई के पश्चात आज आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी की ओर से अपने आवेदन मे सार रूप मे कहा गया है कि मुदई ने यह मुकदमा तकरारी एराजी के निस्वत रिडम्सन का डिक्री पाने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। मुकदमे के कार्यवाही के दरम्यान सोल प्लेंटिफ मुदई नागेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक–26.02.2021 को अपने कानूनी उतराधिकारी को छोड़कर हो गयी है। न्यायहीत मे नागेन्द्र सिंह का नाम मुदई के खाने से कलमजद होना वो इनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध होना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नागेन्द्र सिंह का नाम कलमजद करते हुए इनके वारिसानों का नाम कलमबद्ध करने की कृपा की जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। इस वाद के एकमात्र मुदई नागेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी है। उनके विधिक उतराधिकारी को पक्षकार

बनाना न्यायहीत मे आवश्यक है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–20.07.2021 को मो0 500/–रू0 खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि सिरिस्तेदार के समक्ष अपने आवेदन के आलोक मे मरम्मत कर लें।

वाद दिनांक–01.10.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।